342
28.09.16

समाहरणालय, दरभंगा।
(भू–अर्जन प्रशाखा)

परियोजना कोशी नदी बलुआहाघाट गंडौल (सहरसा) से हाँटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का धारा–6(1) के तहत प्रकाशन।

परियोजना–कोशी नदी बलुआहाघाट गंडौल (सहरसा) से हॉटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ भू–अर्जन करने का प्रस्ताव इसके अधियाची विभाग बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 से प्राप्त हुआ। इस प्रस्तावित भूमि का अर्जन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR ACT-2013) के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

उक्त अधिनियम के धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अध्ययन बिहार सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान ए0एन0सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना के माध्यम से कराया गया, जो क्षेत्र में सुनवाई करने के उपरान्त अपना अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कराया है।

उक्त अधिनियम के धारा–6(1) के तहत उक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के निष्कर्ष को सारांश रूप में अर्जनाधीन क्षेत्र में तथा अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया जाना है। तदालोक में उक्त अंतिम प्रतिवेदन का निम्नांकित सारांश प्रकाशित किया जाता है।

सारांश :– वर्त्तमान में गंडौल (सहरसा जिला में पश्चिमी कोशी नदी तटबंध के नजदीक) से हाटी कोठी (दरभंगा जिला में बिरौल एस0एच0–56 के नजदीक) तक कोई मोटरेबुल सड़क अस्तित्व में नही है। वर्त्तमान प्रस्तावित परियोजना कोशी नदी बलुआहा घाट गंडौल (सहरसा) से हॉटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण के द्वारा उपरोक्त दोनों स्थानों को सम्पर्कित किया जायेगा। इसके माध्यम से सहरसा जिला में स्थित एन0एच0–107 का सम्पर्क दरभंगा जिला में स्थित एस0एच0–56 से हो जायेगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सहरसा एवं दरभंगा के बीच की दूरी मात्र 88 कि0मी0 रह जायेगी जो वर्त्तमान में 245 कि0मी0 है। यह प्रस्तावित सड़क एक महत्वपूर्ण उच्च पथ होगा जिसके माध्यम से एन0एच0–57, एस0एच0–56 एवं एन0एच0–107 सम्पर्कित हो जायेगा। इसके कारण सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले का सम्पर्क समस्तीपुर, दरभंगा एवं पटना से आसान हो जायेगा।

उक्त प्रस्तावित सम्पर्क सड़क की दूरी गंडौल से बिरौल तक लगभग 13 कि0मी0 है। इसके लिए अर्जनाधीन भूमि में से दरभंगा जिला के दो अंचलों यथा गौड़ा बौराम एवं बिरौल के कुल 9 (नौ) मौजे का भू–भाग प्रभावित होता है। ये मौजे निम्नांकित है :–

1. **गौड़ा–बोराम** :– (1) पुनाच (2) कोठराम (3) बगरासी (4) परसरमा (5) तेनुआ
2. **बिरौल** :– (1) सोनपुर (2) सुपौल (3) उछटी (4) हॉटी

उक्त प्रस्तावित सड़क का लाइनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिससे आवादी के विस्थापित होने की संभावना काफी कम है तथा कृषि भूमि अधिक है।

निष्कर्ष :–

1. परियोजना के लोक प्रयोजन का मूल्यांकन उचित रूप से किया गया तथा पाया गया कि यह आमजनों के विस्तृत हित में है। इससे इस क्षेत्र के विकास का मार्ग कई गुणा प्रशस्त होगा।
2. इस परियोजना में न्यूनतम विस्थापन के विकल्प को चुना गया । प्रयास किया गया कि न्यूनतम दूरी लिया जाय ताकि विपरीत प्रभाव कम से कम हो सकें।
3. पूरे परियोजना के लिए अर्जनाधीन भूमि का रकवा 167.8096 एकड़ होता है।

4. इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीव्रता कम है। कुछ ऐसे कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका समाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।
5. इस परियोजना का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में है। प्रत्येक प्रभावों में सकारात्मक ज्यादा है तथा नकारात्मक कम है।
6. सामाजिक रूप से सीमान्त समूहों के प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर के भुगतान में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिऐं।
7. प्रस्तावित सड़क के निर्माण से स्कूली बच्चों के दुर्घटना की समस्या बढ़ सकती है। इसके लिए अंडर–पास पुल की आवश्यकता होगी।
8. भू–अर्जन के कारण प्रभावित व्यक्तियों में खास प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्या होना प्रतिवेदित है।
9. जिन परिवारों का घर/दूकान/पेड़ वगैरह विस्थापित होगा उन्हें ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा।
10. जिन व्यक्तियों के द्वारा जमीन क्रय किया गया था तथा अब अर्जनाधीन है, पुनः जमीन नही क्रय कर सकेंगे चूँकि जमीन का मूल्य काफी बढ़ जायेगा।
11. परियोजना के परोक्ष प्रभावों में सकारात्मक प्रभाव ज्यादा है तथा नकारात्मक प्रभाव कम है।
12. भू–अर्जन के क्रम में लोगों के सामने भूमि का मापी कराने, स्वत्व निर्धारित कराने, प्रतिकर का भुगतान प्राप्त करने, पदाधिकारियों के असहयोग करने जैसी समस्या आ सकती है।
13. सड़क बनने के कारण 6 ग्रामों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए कलवर्ट का निर्माण कराने की मांग की गई है।
14. प्रस्तावित सड़क की उँचाई अधिक होने के कारण ग्रामीण लोगों को सम्पर्क करने में कठिनाई होगी जिसके निदान के लिए स्लोप तथा सम्पर्क पथ के निर्माण की मांग की गई।
15. क्षेत्र के ग्रामवासी इस सड़क के निर्माण से काफी आशान्वित है चूँकि यह सड़क उनके विकास यथा–रोजगार, बिजली, शिक्षा वगैरह के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उनके लिये यह सड़क वर्षो पुराना एक स्वप्न था जो अब साकार होने जा रहा है।
16. इस परियोजना के परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने का दायरा बढ़ जायेगा।
17. ग्रामीणों के द्वारा कुछ सुधारात्मक तथा कुछ विकासात्मक कार्यों की मांग की गई जिसे अधियाची विभाग या सरकार के द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

अनुशंसा :–

परियोजना कोशी नदी बलुआहाधाट गंडौल (सहरसा) से हॉटी कोठी बिरौल (दरभंगा) तक पुल एवं पथ निर्माण के प्रयोजन हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर सम्यक रूप से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) करने के पश्चात यह पाया गया कि इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

अतएव प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर का भुगतान करते हुए प्रस्तावित भू–अर्जन किया जा सकता है।

26/04/16.

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक 830 /भू–अ0, दिनांक 27.9.16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अंचला अधिकारी, बिरौल/गौड़ा–बोराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्त्ता, दरभंगा के बेवसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कैम्प बलुआहाघाट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

सक्षम हस्ताक्षरी,
दरभंगा।